आमेर (जयपुर)

24/5/23 प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
पर उभयपक्षों की बहस दिनांक
16/5/23 को सुनी गई। वादी का
मुख्यतः कथन रहा कि विवादग्रस्त
आराजी वादी व प्रतिवादी गण
की शामलाती भूमि है जिसका
विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है,
एवं प्रतिवादी गण द्वारा मौके
पर बिना बंटवारा कराए निर्माण
कार्य करवाया जा रहा है। अतः
प्रतिवादी गण को पाबंद किया
जावे कि वे किसी प्रकार का

सहायक कलक्टर
आमेर (जयपुर)

Scanned with CamScanner

लय सहायक कलेक्टर जामडोली

मोहनलाल बनाम गिरधारी

68
ना संख्या / वर्ष : /2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	निर्माण कार्य नहीं करें एवं मौका स्थिति में परिवर्तन न करें प्रतिवादी अधिवक्ता का कथन रहा कि उनके द्वारा किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है व केवल कृषि कार्य किया जा रहा है फिर भी अगर उभयपक्षों को निर्माण नहीं करने बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। उभयपक्षों को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम सिरसली, प.ह. सिरसली, तहसील, आमेर जयपुर में स्थित आराजी भूमि हाल खाता सं० 206 में स्थित खसरा नं. 803, 804, 810, 811, 812, 813, व 814 कुल किता 7 व कुल रकबा 0.93 है. में किसी प्रकार का निर्माण कार्य	

सहायक कलेक्टर
आमेर जयपुर

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर कोर्ट

मोहन बनाम गिरधारी

मुकदमा संख्या / वर्ष 68 : / 2023

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		न करें न करावें व मौके एवं राजस्व रिकार्ड कि यथा स्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाए रखें। * नोट :- यह आदेश किसी भी प्रकार के कृषि कार्य पर लागू नहीं रहेगा। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर आमेर मु० जयपुर